



2026:AHC-LKO:4069-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

रिट - सी संख्या - 9123 सन 2024

दीपिका खुलबे

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन
विभाग, लखनऊ एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : रोहित जयसवाल, आदर्श प्रताप सिंह, बृजमोहन सिंह, रजनीश
कुमार

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, शोभित मोहन शुक्ला

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय
माननीय न्यायमूर्ति अब्देश कुमार चौधरी

1. सुनवाई हुई।
2. यह याचिका प्रतिवादी संख्या 5 के विरुद्ध रेरा द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्र को लागू कराने की मांग के लिए दायर की गई थी।
3. पूछे जाने पर, राज्य के अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें इस मामले में कोई निर्देश नहीं है और उन्होंने समय मांगा।
4. प्रस्तर-7 में याचिकाकर्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर दिनांक 10.09.2021 को पारित मूल आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई है।
5. याचिका का निस्तारण इस टिप्पणी/निर्देश के साथ किया जाता है कि कलेक्टर, लखनऊ इस मामले की जांच करें और यदि उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश रेरा द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्र को लागू करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है, जब तक कि वह पहले से ही संतुष्ट न हो, तो कानून के अनुसार राशि रेरा को भेज दें।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राँय]

जनवरी 19, 2026

एम.वी.एस./-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।